

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या : 38/2018 एफ एस एस एक्ट

- सरकार जरिये महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा, जिला दौसा ।

— आवेदक—

बनाम

- श्री संतोष कुमार पुत्र श्री बाला सहाय गुप्ता
एफबीओ मैसर्स:- खण्डेलवाल मिष्ठान भण्डार, नई मण्डी रोड, दौसा।

— अभियुक्त—

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : श्री महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: अप्रार्थी सं0 1 स्वयं उपस्थित।

—: आदेश :-

दिनांक:-19.12.2018

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कार्यालय में कार्य सम्पादन कर रहा है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना (नोटिफिकेशन) क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.11 के अनुसार मुझे खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है तथा श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश क्रमांक 475 दिनांक 10.08.2011 के द्वारा मुझे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र जिला दौसा आवंटित किया गया है।

यह है कि दिनांक 21.07.2018 को प्रातः 10:30 बजे मैसर्स:- खण्डेलवाल मिष्ठान भण्डार, नई मण्डी रोड, दौसा स्थित का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय दुकान पर विक्रेता श्री संतोष कुमार पुत्र श्री बाला सहाय गुप्ता उपस्थित मिला ने स्वयं को उक्त फर्म का मालिक बताया को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने के लिए कहा तो उसने खाद्य पदार्थ लाईसेन्स होना जाहिर किया।

यह है कि निरीक्षण के समय विक्रेता की दुकान में एक एल्युमिनियम के बड़े भगोने में करीबन 40 लीटर दूध था जिसे विक्रेता ने मिश्रित दूध बताया, जो आम जनता को बेचने हेतु रखा हुआ था, में मिलावट का शक होने पर इसमें से हिलामिलाकर नमूने की जांच हेतु 2 लीटर मिश्रित दूध खरीदा। जिसे विक्रेता ने भी हिलामिलाकर एक साफ सूखे एवं खाली स्टील के जग में नापकर (तौलकर) दिया जिसकी कीमत 90 रुपये नकद देकर बिल प्राप्त किया।

यह है कि नमूने के लिये खरीदशुदा 2 लीटर मिश्रित दूध को चार साफ सूखी एवं खाली कांच की बोतलों में बराबर-बराबर डालकर प्रत्येक बोतल में 40-40 बूंद फॉर्मलीन की डालकर बोतल को ढक्कन से बन्द कर चार लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व एफ.बी.ओ. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को बोतलो पर चिपकाकर बोतलो को अलग-अलग एक खाकी कागज में लपेट कर बोतलो पर डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर ए.जी.-1959 गोंद से



चिपकाकर बोतलो को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर बोतलो को चार-चार जगह से चपडी से सील मोहर कर बोतलो पर एफबीओ (विक्रेता) व गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारो सील बन्द बोतलो को अपने कब्जे में लिया।

यह है कि आवेदक ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की जो संलग्न है।

यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये जो संलग्न है।

यह है कि आवेदक ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतिया तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेसन) लगाकर फार्म नं० 6 की एक प्रति व नमूने की एक सीलबंद बोतल एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं० 6 की दो प्रतिया अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने की एक सील बंद बोतल व फार्म नं० 6 का सील बंद लिफाफा श्री महादेव प्रसाद सैनी च०श्रे०क० मुख्यालय द्वारा दिनांक 23.07.2018 को खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक, राज० जयपुर के यहां जमा करवाये।

यह है कि नमूने की दो सील बन्द बोतल व फार्म नं० 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 23.07.2018 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा नमूने की चतुर्थ सीलबंद बोतल व फार्म नं० 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 24.07.2018 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है।

यह है कि उक्त खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध के नमूने की खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट सं० एल.एस./1252/एक्ट/2018/1351 दिनांक 07.08.2018 डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा के जरिये आवेदक को प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ दूध का नमूना सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया है।

न्याय निर्णय आवेदन पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्त की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निवेदन किया गया कि उक्त खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध का नमूना खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट सं० एल.एस./1252/एक्ट/2018/1351 दिनांक 07.08.2018 के अनुसार सबस्टैण्डर्ड पाया गया है।

अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि हमारे द्वारा ग्रामीण दूध विक्रेताओं से दूध लेकर विक्रय किया जाता है। इसमें हमारे द्वारा किसी भी प्रकार की कोई मिलावट नहीं की जाती है और न ही क्रीम निकाली जाती है। पूर्व में हमारी दुकान से लिये गये सभी नमूने मानक स्तर के पाये गये हैं। अतः निवेदन है कि प्रथम बार हुई गलती के लिये कम से कम जुर्माना लगाया जाकर प्रकरण को ड्रॉप फरमाया जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट सं० एल.एस./1252/एक्ट/2018/1351 दिनांक 07.08.2018 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध का नमूना सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया है। जो एफएसएसए नियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (II) का उल्लंघन है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में निर्धारित है।



प्र० सं० : 38 / 2018 एफ एस एस एक्ट

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा खाद्य पदार्थ दूध का विक्रय किये जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) (II) का उल्लंघन होने से अपराध कारित होने के फलस्वरूप अप्रार्थी अभियुक्त श्री संतोष कुमार पुत्र श्री बाला सहाय गुप्ता एफबीओ मैसर्स:- खण्डेलवाल मिष्ठान भण्डार, नई मण्डी रोड, दौसा पर 7,000/- (अक्षरे सात हजार रूपये) शास्ति आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त शास्ति राशि निर्णय दिनांक 19.12.2018 के एक माह के अन्दर-अन्दर जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे।



निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 19.12.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया

(राजवीर सिंह चौधरी)
न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, दौसा
दिनांक:- 19.12.2018

क्रमांक / 11428-11430

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज० जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री संतोष कुमार पुत्र श्री बाला सहाय गुप्ता एफबीओ मैसर्स:- खण्डेलवाल मिष्ठान भण्डार, नई मण्डी रोड, दौसा।



(राजवीर सिंह चौधरी)
न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, दौसा